



Co No 03-04157



नाम में तब्दीली के परिणामस्वरूप निगमन के लिए नया प्रमाण-पत्र
FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION CONSEQUENT
ON CHANGE OF NAME

कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में बिहार, पटना
[कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन]

In the Office of the Registrar of Companies Bihar Patna
[Under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)]

रैपको होम्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

IN THE MATTER OF RAPCO HOMES PRIVATE LIMITED.

में एतद्वारा प्रमाणित करना है कि रैपको होम्स प्राइवेट परिलीमिटेड जिसका निगमन मूलतः 1970 के बिहार के 4 दिन इत कम्पनी अधिनियम के अधीन और रैपको होम्स प्राइवेट परिलीमिटेड नाम द्वारा किया गया था. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 21/21A (क) के निर्बंधनों के अनुसार आवश्यक संकल्प पारित कर चुकी है और इसकी बाबत केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रदान कर दी गई है।

I hereby certify that Rapco Homes Private Limited, which was originally incorporated on 4th day of Sept 1970 under the Companies Act, 1956 and under the name Rapco Homes Private Limited having duly passed the necessary resolution in terms of section 21/ of Compties Act, 1956, and the approval of the Limited. Central Government signified in writing having been accorded thereto in the Department of Company Affairs.

रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 4.9.1990 के पत्र सं नाम/90-91/363/1528 द्वारा प्राप्त हो जाने पर उक्त कम्पनी का नाम इस दिना मौर्य बिहार होम्स प्राइवेट परिलीमिटेड में तब्दील कर दिया गया है और यह प्रमाण-पत्र उक्त अधिनियम की धारा 23 (1) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

Regional Director/Registrar of Companies Bihar letter No नाम/90-91/363/1528 dated 4.9.90 the name of the said company is this day changed to MAURYA VIHAR HOMES PRIVATE Limited and this certificate is issued pursuant to section 23 (1) of the said Act.

मेरे हस्ताक्षर से यह तारीख 26 अगस्त 1992 शक को पटना में दिया गया।

Given under my hand at Patna this 17th day of December 1990
(One thousand nin: hundred ninety)

कम्पनियों का रजिस्ट्रार
Registrar of Companies
कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार
Registrar of Companies, BIHAR